भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4080

दिनांक 30 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मालवा क्षेत्र में भूजल का गंभीर रूप से कम होना

4080. श्री सतनाम सिंह संधूः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब के मालवा क्षेत्र में भूजल के गंभीर क्षरण और यूरेनियम एवं आर्सेनिक सहित भारी धातुओं के संदूषण की उभरती रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) इस संकट से निपटने के लिए जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) के अंतर्गत राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित सतही जल आधारित आपूर्ति परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शत प्रतिशत सुरक्षित नल जल संपर्क स्थापित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): देश में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी इस मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

पंजाब के मालवा क्षेत्र (जिसमें बरनाला, भठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और एसएएस नगर जिले शामिल हैं) में नवंबर/दिसंबर 2025 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए भूजल स्तर की निगरानी के आंकड़ों के अनुसार, निगरानी किए गए 164 कुओं में से 73 कुओं (44.51%) में जल का स्तर जमीन से 0-10 मीटर नीचे (एमबीजीएल) दर्ज किया गया है।

भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2025 के जिला-वार भूजल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (वर्ष 2015-2024) के दशकीय औसत आंकड़ों से की गई है। इस तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 45.1% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आयोजित वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से पंजाब के मालवा क्षेत्र सहित पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा भी सृजित करता है।

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट - 2025 के अनुसार, मालवा क्षेत्र में भारी धातु संदूषण के लिए विश्लेषण किए गए भूजल के 296 नमूनों में से, क्रमशः 9.12%, 3.72% और 53% नमूनों में आर्सेनिक, आयरन और यूरेनियम संबंधित अनुमेय सीमाओं से अधिक मात्रा में पाए गए।

(ख): जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, जिसे मंत्रालय, राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित कर रहा है, पंजाब सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर संदूषण रहित पीने योग्य नल का जल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2019 से मार्च 2026 तक पंजाब को केंद्र सरकार की ओर से 799.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और कुल व्यय 2084.18 करोड़ रुपये है।

यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) सीजीडब्ल्यूबी का एक संगठन-आधारित वैज्ञानिक अध्ययन परियोजना है, जिसका उद्देश्य जलभृतों का मानचित्रण करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करना है। राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना नैक्यूम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(ग) और (घ): पेयजल के राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में योजना बनाना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए धनराशि आवंटित करते समय, यूरेनियम और आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली लोगों को 10% वेटेज दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि आवंटित धनराशि का 2% तक जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण में उपयोग किया जा सकता है। तथापि, यूरेनियम और आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्रों सहित जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से आवंटन नहीं किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपयुक्त जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की भी सलाह दी गई है।

*****